राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय सं.–07

उपस्थित–माननीय श्री आनन्द कुमार सिंह, सदस्य (प्रशासकीय)

निर्देश याचिका सं.–454/2023

संदीप सिंह, आयु लगभग 37 वर्ष, पुत्र श्री अभय नारायण सिंह, निवासी ग्राम– कंधईपुर, थाना कोतवाली देहात हनुमानगंज, जिला– सुल्तानपुर, वर्तमान में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात, पुलिस लाइन लखनऊ कमिश्नरेट, पी0एन0ओ0 नं0–052630112

...याची।

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग, यू0पी0 सचिवालय, लोक भवन लखनऊ।
2. संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध और मुख्यालय, कमिश्नरेट, लखनऊ।
3. पुलिस उपायुक्त, उत्तरी कमिश्नरेट, लखनऊ।

....विपक्षीगण।

श्री रमेश सिंह विद्वान अधिवक्ता, वास्ते याची।
श्री एस0पी0 सिंह, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, वास्ते विपक्षीगण

निर्णय

(मा0 श्री आनन्द कुमार सिंह सदस्य (प्रशा0) द्वारा श्रुतलेखित)

1. वर्तमान निर्देश याचिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4 के अधीन याची द्वारा विपक्षी संख्या–3, पुलिस उप आयुक्त, उत्तरी लखनऊ द्वारा पारित दण्डादेश दिनांकित 30.05.2022 तथा विपक्षी संख्या–2, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा पारित अपीलीय आदेश

दिनांकित 08.02.2023 को चुनौती देते हुए संस्थित की गई है। निर्देश याचिका में याची ने निम्नलिखित अनुतोष याचित किए हैं:

> **"(i) To set aside the minor punishment order No.Da-120/022 dated 30-05-2022** (परिनिन्दा) **passed by the opposite party No. 3 and the appellate order dated 08.02.2023 passed by the opposite party No. 2 contained as Annexure No. 1 & 2 respectively to this claim petition.**
>
> **(ii) To direct the respondent authorities not to read the impugned minor punishment order No.Da-120/2022 dated 30-05-2022** (परिनिन्दा) **passed by the opposite party No. 3 and the appellate order dated 08-02-2023 passed by the opposite party No. 2 to deny the petitioner any service benefit.**

2. याची द्वारा उपर्युक्त अनुतोष इस आधार पर याचित किए गए हैं कि याची टाइफाइड से पीड़ित था तथा उसका इलाज चल रहा था, जिसकी सूचना उसके द्वारा अलग–अलग तारीखों पर रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए उच्च अधिकारियों को दी गयी थी। याची ने पुलिस रेगुलेशन के नियम 381 और 382 का पालन किया था उसने अपनी बीमारी के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को विधिवत सूचित किया और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी संबंधित अधिकारी को सौंपा। याची के प्रकरण में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी 8.3.2001 के सर्कुलर और राम सूरत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में स्थापित कानून का उल्लंघन किया गया है। याची को कारण बताओ नोटिस के साथ जांच रिपोर्ट की कॉपी और अन्य संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। याची 16.4.2020 तक अपना इलाज करवाता रहा और फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा उस पर प्रति–हस्ताक्षर (countersign) होने के बाद, वह 18.4.2020 को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हुआ। याची के स्पष्टीकरण पर बिना कोई विचार किये याची के विरूद्ध प्रश्नगत (परिनिंदा प्रविष्टि) का दण्डादेश पारित किया गया। दण्डाधिकारी ने प्रश्नगत दण्डादेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि स्पष्टीकरण और जांच रिपोर्ट के अलावा रिकॉर्ड में कौन से अन्य दस्तावेज उपलब्ध थे

तथा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए याची को कौन से दस्तावेज पेश करने की जरूरत थी और याची का जवाब असंतोषजनक क्यों है। प्रश्नगत मामले में जांच अधिकारी द्वारा याची का कोई बयान नहीं लिया गया। जांच अधिकारी द्वारा जांच में डॉक्टर का बयान भी दर्ज नहीं किया गया। जांच अधिकारी को यदि याची के मेडिकल कागजात पर कोई संदेह था तो कागजात की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। याची की ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के पीछे कोई गलत इरादा नहीं था, उसकी अनुपस्थिति बीमारी की मजबूर करने वाली परिस्थितियों के कारण हुआ था। जांच अधिकारी याची के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के मामले में याची की जानबूझकर की गई लापरवाही या बुरी नीयत/गलत इरादे को साबित करने में नाकाम रहे इसलिए, याची की उक्त अनुपस्थिति कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है। याची के प्रकरण में नियमावली 1991 के नियम 21 का उल्लंघन करते हुए तथ्यों पर बिना विचार किए याची की अपील को गैर–कानूनी और मनमाने ढंग से आदेश दिनांकित 08.02.2023 द्वारा खारिज कर दी गयी।

याची का अग्रतर यह भी कथन है कि याची को ''काम नहीं तो वेतन नहीं'' के सिद्धांत के तहत 24.6.2019 से 19.4.2010 तक (कुल 282 दिन) बिना वेतन की छुट्टी की सजा भी दी गई थी। दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 30.5.2022 को पारित दण्डादेश के विरुद्ध याची ने विपक्षी संख्या 2 के समक्ष अपील दाखिल की थी, जिसे दिनांक 8.2.2023 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया और अनुपस्थिति की अवधि, अर्थात् 24.6.2019 से 19.4.2020 तक कुल 282 दिनों को अर्जित अवकाश और चिकित्सा अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया। याची के समान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह माना है कि जब अनुपस्थिति को उचित ठहराने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत किए गए थे, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए था और तदनुसार, रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया।

3. याची के कथनानुसार उसका प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि 2019 में जब याची थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ में नियुक्त रहा, तब दिनांक 24.06.2019 को 03 दिवस आकस्मिक अवकाश पर थाना

मड़ियांव से रवाना हुआ, जिसे बाद समाप्त अवकाश दिनांक 27.06. 2019 को वापस आना था, परन्तु बीमार हो जाने के कारण समय से उपस्थित नहीं हो सका। उसके द्वारा अपने गैरहाजिरी के सम्बन्ध में सूचना अपने उच्चाधिकारीगण को दी गयी, थी फिर भी याची को दिनांक 24.06.2019 से 19.04.2020 तक कुल 282 अनुपस्थिति के सम्बन्ध में प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 30.05.2022 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध याची द्वारा विभागीय अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु विपक्षी संख्या–2 ने भी दिनांक 08.02.2023 के आदेश द्वारा याची की अपील निरस्त कर दी। इन्हीं आदेशों को विधि–विरुद्ध, बताते हुए याची द्वारा वर्तमान निर्देश याचिका संस्थित की गई है।

4. विपक्षीगण का संक्षेप में कथन है कि याची के विरुद्ध पारित दण्डादेश एवं अपीलीय आदेश पूर्णतः विधिसम्मत, नियमानुकूल तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए हैं। उनके अनुसार जब याची वर्ष 2019 में थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ में नियुक्त था तब दिनांक 24.06.2019 को 03 दिवस आकस्मिक अवकाश पर थाना मड़ियांव से रवाना हुआ, जिसे बाद समाप्त अवकाश दिनांक 27.06.2019 को वापस आना था, परन्तु याची के द्वारा समय से वापस न आकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गया। यहां तक कि याची के द्वारा अपने गैरहाजिरी के सम्बन्ध में कोई भी सूचना अपने उच्चाधिकारीगण को नहीं दी गयी, जिसे याची के स्वेच्छाचारिता का द्योतक पाया गया। इस प्रकार यह याची बिना अनुमति/अवकाश के दिनांक 24.06.2019 से 19.04.2020 तक कुल 282 दिवस अपने कर्तव्य से विरत रहने के फलस्वरूप प्रकरण में प्रारम्भिक जांच करायी गयी जिसमें याची को दोषी पाये जाने के दृष्टिगत याची को दिनांक 26.04..2022 को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा विभागीय अभिलेखों का अवलोकन करने का अवसर प्रदान किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आलोक में सम्यक विचार करने के पश्चात् दण्डाधिकारी ने स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए विस्तृत कारणों सहित दिनांक 30.05.2022 को परिनिन्दा का दण्ड अधिरोपित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध याची द्वारा प्रस्तुत अपील पर भी अपीलीय प्राधिकारी ने उपलब्ध अभिलेखों एवं अपील में लिए गए समस्त आधारों पर विचार कर दिनांक 08.02.2023 को कारणयुक्त आदेश द्वारा अपील निरस्त कर दी। अतः विवादित दोनों आदेश विधिसम्मत, कारणयुक्त एवं

प्राकृतिक न्याय के अनुरूप पारित किए गए हैं तथा उनमें किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं है।

5. विपक्षीगण का अग्रतर यह भी कथन है कि प्रश्नगत निर्देश याचिका धारा 4, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 के अधीन पोषणीय नहीं है, क्योंकि याची ने अपीलीय आदेश दिनांक 08.02.2023 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 23 के अंतर्गत उपलब्ध पुनरीक्षण (Revision)के वैधानिक उपचार का अवलम्बन किए बिना सीधे वर्तमान निर्देश याचिका संस्थित कर दी है, जिससे यह याचिका समयपूर्व (Premature)है। विपक्षीगण का यह भी कहना है कि याची द्वारा निर्देश याचिका में लगाए गए समस्त आरोप, जिनमें पर्याप्त अवसर न दिए जाने, अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन, साक्ष्य के अभाव, दण्डादेश एवं अपीलीय आदेश के अमुखरित होने तथा उद्धृत न्यायिक निर्णयों की प्रयोज्यता संबंधी कथन सम्मिलित हैं, निराधार एवं अस्वीकार्य हैं। उनके अनुसार याची को विभागीय कार्यवाही के प्रत्येक चरण पर पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, उसके स्पष्टीकरण एवं अपील पर विधिसम्मत विचार किया गया तथा समस्त आदेश स्वतंत्र विवेक के प्रयोग के उपरान्त पारित किए गए। अतः याची किसी भी अनुतोष का अधिकारी नहीं है और निर्देश याचिका तथ्यहीन, बलहीन तथा सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है।

6. याची ने प्रत्युत्तर शपथपत्र प्रस्तुत कर लिखित कथन में किए गए अभिकथनों का खण्डन किया तथा निर्देश याचिका में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतिकर्ता अधिकारी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अध्ययन एवं अनुशीलन किया गया।

8. वर्तमान निर्देश याचिका की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि याची को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.04.2022 (संलग्नक सं.–3) तामील कराया गया, जिसमें उसके विरुद्ध निम्नलिखित आरोप अंकित किया गया हैः

2022

> ''जब यह आरक्षी वर्ष 2019 में थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ में नियुक्त रहे, तब दिनांक 24.06.2019 को 03 दिवस आकस्मिक अवकाश पर थाना मड़ियांव से रवाना हुये। जिसे बाद समाप्त अवकाश दिनांक 27.06. 2019 को वापस आना था, परन्तु इसके द्वारा समय से वापस न आकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गया। यहां तक कि इसके द्वारा अपने गैरहाजिर के सम्बन्ध में कोई भी सूचना अपने उच्चाधिकारीगण को नहीं दी गयी, जो इनके स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यह आरक्षी बिना अनुमति/ अवकाश के दिनांक 24.06.2019 से 19.04.2020 तक कुल 282 दिवस अपने कर्तव्य से विरत रहे। इसके यह कृत्य कर्तव्यपालन में घोर लापरवाही, उदासीनता, शिथिलता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है, जिसकी घोर परिनिन्दा की जाती है।''

उक्त कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में याची द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर विस्तृत प्रत्युत्तर (संलग्नक सं.–4) प्रस्तुत किया गया। दण्डाधिकारी द्वारा याची के प्रत्युत्तर को असंतोषजनक मानते हुए आक्षेपित दण्डादेश दिनांकित 30.05.2022 (संलग्नक सं.–1) के माध्यम से याची पर परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्ड अधिरोपित कर दिया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध याची द्वारा प्रस्तुत विभागीय अपील को भी अपीलीय आदेश दिनांकित 08.02.2023 (संलग्नक सं.–2) द्वारा निरस्त कर दिया गया। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आदेशों के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण आदेश पारित नहीं किया गया है। उक्त दण्डादेश एवं अपीलीय आदेश से क्षुब्ध होकर याची द्वारा वर्तमान निर्देश याचिका योजित की गई है।

9. विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने सर्वप्रथम वर्तमान निर्देश याचिका की पोषणीयता पर प्रारम्भिक आपत्ति उठाते हुए तर्क दिया कि याची ने उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 23 के अधीन उपलब्ध पुनरीक्षण के वैधानिक उपचार का अवलम्बन किए बिना सीधे वर्तमान निर्देश याचिका योजित की है। अतः निर्देश याचिका समयपूर्व एवं उ०प्र० लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4 के अधीन अपोषणीय है।

इसके प्रतिवाद में याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची द्वारा विवादित दण्डादेश के विरुद्ध विभागीय अपील योजित की गई थी, जिस पर सक्षम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 08.02.2023 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। नियम 23 के अधीन पुनरीक्षण का उपचार वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं, न तो नियमावली, 1991 तथा न ही उ०प्र० लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 में ऐसा कोई उपबंध है, जिसके अनुसार पुनरीक्षण योजित किए बिना निर्देश याचिका पोषणीय न हो।

इस अधिकरण द्वारा पक्षकारों के प्रतिद्वन्द्वी तर्कों तथा अभिलेखों का परीक्षण किया। यह निर्विवाद तथ्य है कि याची की विभागीय अपील का निस्तारण हो चुका था और उसके उपरान्त ही वर्तमान निर्देश याचिका योजित की गई। नियम 23 का अवलोकन करने से भी यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण का प्राविधान वैकल्पिक है, न कि अनिवार्य। धारा 4, उ०प्र० लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 में भी ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं है कि पुनरीक्षण के बिना अधिकरण का अधिकार क्षेत्र अवरुद्ध हो जाए। अतः केवल पुनरीक्षण का उपचार उपलब्ध होने मात्र से वर्तमान निर्देश याचिका अपोषणीय नहीं ठहराई जा सकती। परिणामस्वरूप, विपक्षीगण की प्रारम्भिक आपत्ति निरस्त की जाती है तथा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वर्तमान निर्देश याचिका उ०प्र० लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4 के अधीन पूर्णतः पोषणीय है और गुण–दोष पर निर्णित किये जाने योग्य है।

10. याची के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि दिनांक 24.06.2019 से 19.04.2020 तक की याची की अनुपस्थिति स्वेच्छापूर्ण (wilful) अथवा जानबूझकर की गयी अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि वह बीमारी के कारण उपचाराधीन था। याची द्वारा अपने नजदीकी सरकारी उच्चतर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दूबेपुर जनपद सुल्तानपुर के चिकित्सक को दिनांक 25.06.2019 को दिखाया गया, जिन्होंने याची को देखा व दवा लिखी तथा बीमारी की हालत में ड्यूटी कर पाने के योग्य न पाये जाने के कारण 15 दिन का बेड रेस्ट लिखा। याची 15 दिन बाद पुनः उसी सरकारी अस्पताल के चिकित्सक को दिखाया तो उन्होने याची को ठीक नही पाया और उन्होने उसे देखने के बाद दवा दी और दिनाँक 20.08.19 तक इलाज कराते हुये आराम करने की सलाह दी गयी। याची अपने बीमार होने तथा इलाज कराने की सूचना

जरिये रजिस्ट्री प्रभारी निरीक्षक मडियाँव, सी.ओ अलीगंज को दी गई। याची लगातार अपना ईलाज कराता रहा तथा ठीक न हो पाने पर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नही आ सका। याची लगातार अपनी बीमारी की सूचना थाने व उच्चाधिकारियों को देता रहा। याची को जब लगातार सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं हुआ तब याची ने प्राइवेट डाक्टर बलवन्त सिंह को भगवत भेषज भवन में दिनाँक 21.08.19 को दिखाया, उन्होने याची का चेकअप करने के बाद दवा लिखी तथा बेड रेस्ट करने की सलाह दी। इसके बाद याची उनके निर्देशन में इलाज कराते हुये उक्त चिकित्सक को दिनाँक 05.10.19 तथा 17.11.19 व 01.12.20 व 20.01.20 तथा 14.02.20 को दिखाया। याची को उनकी इलाज से आराम हो रहा था परन्तु कमजोरी बनी हुई थी, जो नहीं जा रही थी इसलिए दिनाँक 13.03.20 को सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कमैचा सुलतानपुर में दिखाया वहां से याची ने दिनाँक 16.04.20 तक अपना इलाज कराया। जब याची के स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो चिकित्सक को दिखाकर फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त कर तथा उस पर मुख्य चिकित्साधिकारी सुलतानपुर से प्रतिहस्ताक्षर कराकर वापस अपनी ड्युटी पर आया। परन्तु दिनांक 18.04.20 को याची की आमद पुलिस लाइन मे नहीं की गयी तब प्रार्थी ने दिनांक 19.04.20 को पुलिस उपायुक्त मुख्यालय कमिश्नरेट लखनऊ से आमद कराने का आदेश कराकर दिनाँक 19.04.20 को प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ द्वारा रोजनामचाआम के नकल रपट संख्या 16 समय 10.30 बजे कुल 279 दिवस 10 घन्टा 30 मिनट गैर हाजिरी से आमद कराया गया। इस प्रकार याची की अनुपस्थिति परिस्थितिजन्य (Circumstantial) एवं चिकित्सीय विवशताओं के कारण थी, न कि अनुशासनहीनता अथवा कर्तव्य से जानबूझकर विमुख होने के उद्देश्य से।

इसके विपरीत, विपक्षीगण का तर्क है कि याची दिनांक 24.06.2019 को 03 दिवस आकस्मिक अवकाश पर थाना मड़ियाव से रवाना हुआ जिसे बाद समाप्त अवकाश दिनांक 27.06.2019 तक वापस आना था परन्तु याची द्वारा समय से वापस न आकर अनाधिकृत रूप से अनुपास्थित हो गया और 382 दिवस बाद दिनांक 19.04.2020 को अपनी आमद करायी। याची के प्रकरण में जांच कराये जाने पर उसकी अनुपस्थिति अनधिकृत सिद्ध हुई इसलिए वह कदाचार (Misconduct) का दोषी है।

अधिकरण ने दोनों पक्षों के तर्कों तथा अभिलेखों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। यह निर्विवाद है कि याची उक्त अवधि में ड्यूटी पर उपस्थित नहीं आए तथापि, मात्र अनधिकृत अनुपस्थिति अपने–आप में अनुशासनहीनता सिद्ध नहीं करती। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **Krushnakant B. Parmar v. Union of India, (2012) 3 SCC 178** प्रत्यक्षतः लागू होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 16 में प्रतिपादित किया है किः

> **"The question whether unauthorised absence from duty amounts to failure of devotion to duty or behaviour unbecoming of a Government servant cannot be decided without deciding the question whether absence is wilful or because of compelling circumstances."**

आगे प्रस्तर 17 में न्यायालय ने स्पष्ट किया किः

> **"If the absence is the result of compelling circumstances under which it was not possible to report or perform duty, such absence cannot be held to be wilful."**

तथा प्रस्तर 19 में यह भी प्रतिपादित किया किः

> **"In a Departmental proceeding, if allegation of unauthorised absence from duty is made, the disciplinary authority is required to prove that the absence is wilful; in absence of such finding, the absence will not amount to misconduct."**

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख संलग्नक–10 के अवलोकन से यह विदित होता है कि संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय कमिश्नरेट लखनऊ ने आदेश दिनांकित 16.02.2023 द्वारा याची के चिकित्सा अभिलेखों पर विचार करते हुए उसकी अनुपस्थिति अवधि (दिनांक 24.06.2019 से 19.04.2020) को उपार्जित अवकाश एवं मेडिकल अवकाश, स्वीकृत करते हुए उसके प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया। अतः जब याची की अनुपस्थिति अवधि (दिनांक 24.06.2019 से 19.04.2020) को संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय कमिश्नरेट लखनऊ ने उपार्जित अवकाश एंव मेडिकल अवकाश स्वीकृत करते हुए आदेश दिनांक 16.02.2023 द्वारा प्रकरण

समाप्त कर दिया गया था तो याची को उक्त अवधि के सम्बन्ध में परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस आधार पर याची के विरूद्ध पारित प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 30.05.2022 एवं अपीलीय आदेश दिनांकित 08.02.2023 स्थिर रहने योग्य नहीं है।

11. याची के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि दण्डादेश से पूर्व की गई प्रारम्भिक जाँच, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि उसी जाँच के आधार पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया, किन्तु उक्त प्रारम्भिक जांच आख्या की प्रति याची को उपलब्ध नहीं कराई गई। फलस्वरूप वह अपने विरुद्ध उपलब्ध सामग्री का प्रभावी प्रतिवाद करने से वंचित रह गया।

इसके विपरीत विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का कहना है कि नियम 14(2) के अंतर्गत केवल कारण बताओ नोटिस देकर स्पष्टीकरण प्राप्त करना अपेक्षित है, जिसका पालन किया गया है, अतः मात्र जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध न कराए जाने से कार्यवाही अवैध नहीं हो जाती। याची के प्रकरण में नियमानुसार जांच सम्पादित की गयी, जिसमें दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध प्रश्नगत दण्डादेश पारित किया गया।

उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि कारण बताओ नोटिस का आधार प्रारम्भिक जाँच थी तथा याची ने अपने स्पष्टीकरण में भी जाँच आख्या उपलब्ध न कराए जाने की विशिष्ट आपत्ति उठाई थी। अभिलेखों पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त प्रतिवेदन अथवा उससे संबंधित सामग्री याची को उपलब्ध कराई गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **State of Uttar Pradesh v. Saroj Kumar Sinha, (2010) 2 SCC 772** में प्रतिपादित किया है किः

> **"An employee must have a reasonable opportunity to defend himself."**

इसी प्रकार **Managing Director, ECIL v. B. Karunakar, (1993) 4 SCC 727** में यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि जिस सामग्री पर सक्षम प्राधिकारी अपने निर्णय का आधार बनाता है, उसकी प्रति संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध कराना निष्पक्ष सुनवाई का अभिन्न अंग है। इन सिद्धांतों के आलोक में अधिकरण का मत है कि

प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराए बिना उसी पर आधारित कार्यवाही आगे बढ़ाना याची के प्रभावी प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। परिणामतः प्रश्नगत कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की कसौटी पर विधिसम्मत नहीं पाई जाती।

12. याची के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क है कि याची के विरुद्ध सम्पन्न प्रारम्भिक जाँच तथा उसके आधार पर निर्गत कारण बताओ नोटिस एवं पारित दण्डादेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के विपरीत हैं। उनका कहना है कि याची ने कारण बताओ नोटिसों के प्रत्युत्तर में विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अपनी चिकित्सीय स्थिति, उपचार, चिकित्सीय अभिलेखों तथा अनुपस्थिति के कारणों का उल्लेख किया था, किन्तु दण्डाधिकारी ने न तो याची द्वारा उठाये गये विशिष्ट तथ्यों एवं आपत्तियों पर कोई स्वतंत्र विचार किया और न ही यह अभिलिखित किया कि प्रस्तुत चिकित्सीय अभिलेख अथवा स्पष्टीकरण क्यों अस्वीकार्य हैं। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में याची के विद्वान अधिवक्ता ने **R.K. Mehrotra v. State of Bihar, 2006 SCC (L&S) 769, Union of India v. Mohan Lal Capoor, (1973) 2 SCC 836** तथा **G. Valli Kumari vs Andhra Education Society, (2010) 2 SCC 497** पर भरोसा किया है। **R.K. Mehrotra** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि:

> **"There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to the show cause notice were, in fact, considered- No reason has been given except for the ipse dixit of the disciplinary authority."**

Mohan Lal Capoor में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि:

> **"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions."**

जबकि G. Valli Kumari में यह प्रतिपादित किया गया कि कारण अभिलिखित करना प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों का अभिन्न अंग है और सकारण निर्णय ही न्यायिक परीक्षण की कसौटी पर खरा उतर सकता है।

वहीं दूसरी ओर, विपक्षीगण का तर्क है कि याची को समुचित अवसर प्रदान किया गया, प्रारम्भिक जाँच नियमानुसार सम्पन्न हुई, कारण बताओ नोटिस जारी किये गये तथा याची के स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरान्त ही दण्डादेश पारित किये गये, अतः विभागीय कार्यवाही में किसी प्रकार की विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है।

अधिकरण ने दोनों पक्षों के तर्कों, अभिलेखों तथा विवादित दण्डादेशों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। दण्डादेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनमें याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, चिकित्सीय अभिलेखों तथा विशिष्ट प्रतिरक्षा का कोई वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं किया गया है। न तो यह स्पष्ट किया गया है कि याची के स्पष्टीकरण का कौन–सा भाग अविश्वसनीय पाया गया और न ही यह कि प्रस्तुत चिकित्सीय अभिलेखों को किन कारणों से स्वीकार नहीं किया गया। सम्पूर्ण आदेश से यह प्रतीत होता है कि दण्डाधिकारी ने प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्षों को यथावत् स्वीकार कर लिया तथा याची की प्रतिरक्षा पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मनन नहीं किया। दण्डाधिकारी का यह दायित्व था कि वह उपलब्ध अभिलेखों, याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा समस्त प्रासंगिक सामग्री का स्वतंत्र परीक्षण कर सकारण निर्णय अभिलिखित करता, जिससे यह स्पष्ट होता कि उसके निष्कर्ष किन तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित हैं। चूँकि वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है, अतः यह अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दिनांक 30.05.2022 के आक्षेपित दण्डादेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के अनुरूप पारित नहीं किया गया है। अतः आक्षेपित दण्डादेश दिनांकित–30.05.2022 (संलग्नक–1) तथा अपीलीय आदेश दिनांकित–08.02.2023 विधिक परीक्षण की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तथा स्थिर रहने योग्य नहीं हैं और इनमें अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित है।

आदेश

13. परिणामस्वरूप, याची की निर्देश याचिका संख्या 454/2023 स्वीकार की जाती है। तद्नुसार निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं :–

(i) विपक्षी संख्या–3 द्वारा पारित याची के विरुद्ध परिनिन्दा प्रविष्टि अधिरोपित करने वाला मूल दण्डादेश दिनांकित 30.05.2022 (संलग्नक संख्या–1) तथा विपक्षी सं0–2 द्वारा

पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 08.02.2023 (संलग्नक संख्या–2) एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(ii) दण्डादेश दिनांकित–30.05.2022 (संलग्नक–1), के अनुपालन में याची की चरित्र पंजिका में अंकित परिनिन्दा प्रविष्टि को विलोपित किए जाने का निर्देश दिया जाता है तथा यह माना जाएगा कि उक्त परिनिन्दा प्रविष्टि का याची की सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति अथवा अन्य किसी सेवागत अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कभी उत्पन्न नहीं हुआ।

(iii) याची उक्त आदेशों के निरस्तीकरण के फलस्वरूप, विधि के अनुसार उपलब्ध समस्त परिणामी सेवा लाभ, यदि अन्यथा देय हो, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(iv) इस आदेश का अनुपालन, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तत किए जाने की तिथि से, तीन माह के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।

14. उभय पक्ष अपने–अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–

(आनन्द कुमार सिंह)
सदस्य (प्रशासकीय)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–

(आनन्द कुमार सिंह)
सदस्य (प्रशासकीय)

दिनांकः 19.08.2026
विनोद/पी0ए0